राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 97/2018

प्रार्थीगण :-

1. फुसाराम पुत्र श्री भूराराम
2. भीखाराम पुत्र श्री उदाराम
3. हीराराम पुत्र श्री उदाराम
4. मगाराम पुत्र श्री उदाराम
5. सन्ताराम पुत्र श्री गंगाराम
6. पुरखाराम पुत्र श्री गंगाराम
7. रूघाराम पुत्र श्री ताजाराम
8. बिरमाराम पुत्र श्री ताजाराम
9. भोमाराम पुत्र श्री ताजाराम

सभी जाति जाट निवासी ग्रम चान्दरख तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. उमादेवी पत्नी श्री तुलछाराम जाति जाट निवासी ग्रम चान्द्रख तहसील बावडी जिला जोधपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियॉ जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थीगण सख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्तसिह चौहान

-'निर्णय:-

दिनॉक 28.12.2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम चान्द्रख के खसरा सख्या 707 रकबा 25 बीघा 01 बिश्वा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आयी हुई है

Scanned with CamScanner

उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीगण के रहवासीय मकान आदि बने हुए है पूर्व में उक्त भूमि एक ही चक की भूमि थी जिसमे प्रार्थीगण सामलाती काश्त करते आ रहे थे। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि के चारो ओर तारबदी आदि कर काबिज काश्त है प्रार्थीगण के आपस में सामलाती रास्ता रखते हुए विधिपूर्वक तरीके से शान्तिपूर्वक विभाजन किये हुए है तथा निवास करते आ रहे है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई अधिकार नही है। उक्त भूमि के पडौस में दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थीगण सख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 715 रकबा 10 बीघा 01 बिश्वा भूमि आयी हुई है। जिसमें अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 01 के मध्य वर्षो से पौराणिक माठ कायम है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद हुआ था जिसमें अप्रार्थीगण सख्या 01 के द्वारा प्रार्थीगण की सहमति से हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाया हल्का पटवारी द्वारा मौके पर सीमाज्ञान किया गया जिसमें सीमाज्ञान का अस्थायी मुटाम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 01 के मध्य पौराणिक माठ पर कायम किया गया । तत्पश्चात अप्रार्थीगण सख्या 01 उक्त सीमाज्ञान से असतुष्ट होकर पत्थरगडी करवायी तो पत्थरगडी के मुटाम भी पौराणिक माठ पर कायम किया गया तब अप्रार्थीगण द्वारा सीमाविवाद को खत्म करने के लिए मौके पर तारबदी भी की । जो वर्तमान में मौके पर मौजूद है। वर्तमान तारबंदी जो पौराणिक माठ पर कायम है जिसके उतर दिशा की ओर प्रार्थीगण का कब्जा है तथा दक्षिण दिशा की ओर अप्रार्थीगण सख्या 01 का कब्जा है। जिसमें वर्षो से मौके पर कायम है। हाल ही में दिनॉक 15.06.2018 को अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 01 के परिवार के सदस्य एकराय होकर प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में आए तथा जबरन कब्जा करने की नियत से तारबंदी से हटकर प्रार्थीगण के कब्जा सुदा भूमि में लाकर पत्थर वगैरह डाल दिये जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सख्या 01 को विधिविरूद्व तरीके से प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में जबरन कब्जा करने से मना किया तो अप्रार्थीगण सख्या 01 द्वारा एलानिया धमकी दी गयी कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में जबरन कब्जा करेगी व खुटे भी रोपेगी। इस प्रकार से जबरन विधिविरूद्व तरीके से अप्रार्थीगण सख्या 01 को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए वादीगण, अप्रार्थीगण सख्या 01 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण सख्या 01 को कोई अधिकार नही है लेकिन बावजूद इसके अप्रार्थीगण सख्या 01 विधिविरूद्व तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में जबरन कब्जा करने की नियत से पत्थर के खुटे वगैरह डाल रहे है। जिसका अप्रार्थीनी को कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त

Scanned with CamScanner

भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि होने व प्रार्थीगण का अपने कब्जा काश्त सुदा भूमि में वर्षो से शान्तिपूर्वक कब्जा होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है यदि वादपत्र के पद सख्या 03 में वर्णित अनुसार अप्रार्थीगण सख्या .01 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में नाजायज तौर से अतिक्रमण कर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो में नही की जा सकती है। अन्त में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशय की जारी की जावे कि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम चान्द्रख के खसरा सख्या 707 रकबा 25 बीघा 01 बिश्वा भूमि में जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदाजी न तो स्वय करे तथा न ही किसी से करावे मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण सख्या 01 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा बताया कि प्रार्थीगण की भूमि के पडौस में अप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है अप्रार्थी की भूमि खसरा सख्या 715 रकबा 10 बीघा 01 बिश्वा में प्रार्थीगण द्वारा दखलदांजी करने पर अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार ओसियॉ को दिनॉक 21.05.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ओसियॉ के आदेश की पालना में दिनॉक 13.06.2014 को सीमाज्ञान किया जाकर मौका फर्द तैयार की गई सीमाज्ञान के समय लगाए गए कच्चे मुटाम के अनुसार प्रार्थीगण ने अप्रार्थी का पत्थर नही लगाने दिए तो अप्रार्थी द्वारा पत्थरगडडी बाबत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनॉक 30.05.2017 को पत्थरगडडी का आदेश पारित किया गया। दिनॉक 22.02.208 को मौके पर पत्थरगडडी की गई तत्पश्चात दिनॉक 22.06.2018 को मिलकन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी की पत्थरगडडी के खुटो को उखाडा तोडा जबरदस्ती अप्रार्थी की भूमि में कब्जा करने की नियत से पत्थर रोपने शुरू कर दिए जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रार्थी द्वारा पुलिस थाना खेडापा में दर्ज करवाई गई जिसका आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। इस प्रकार से प्रार्थीगण द्वारा गलत व मनगढत तथ्यो के आधार पर वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अन्त में ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि खसरा सख्या 707 प्रार्थीगण की सयुक्त खातदोरी की भूमि हे जिसमें प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी

Scanned with CamScanner

भूमि में से 10 बिश्वा भूमि विद्यालय हेतु समर्पण की थी जिस पर मौके पर आज दिन भी विद्यालय बना हुआ है तथा विद्यालय के चारो ओर दीवार बनी हुई है तथा दीवार के एकदम सीधा पूर्वी दिशा में कणा है तथा उक्त विद्यालय प्रार्थीगण की खातदेारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में बना हुआ है। लेकिन अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में पत्थरगडडी के जरिये कब्जा करने हेतु आमदा है। जो किसी भी सूरत में किया जाना उचित नही है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण की खातदेारी भूमि की पत्थरगडडी अप्रार्थीगण करवाना चाहते है तथा प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर वादपत्र पेश किया है जिससे अप्रार्थीगण की पत्थरगडडी नही हो रही है। व उक्त वादपत्र पत्थरगडडी के आदेश के बाद पेश किया है अत खारिज किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण बाबत तीन महत्वपूर्ण बिन्द प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति तथा सुवधिा का सन्तुलन का विवेचन करना आवश्य है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u> वादग्रस्त भूमि खसरा सख्या 707 जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि के पडौस में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सख्या 715 है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में वर्षो से कब्जा काश्त है जो अप्रार्थीगण के द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जहॉ तक अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सख्या 715 बाबत प्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदाजी नही कर रहे है चूँकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलनः– प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र व वादपत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वर्षो से पौराणिक सीमा कायम होना इस स्तर पर प्रेथम दृष्टया प्रमाणित है तथा अप्रार्थीगण उक्त पत्थरगडडी के आदेश की आड में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में कब्जा करने हेतु आमदा है। क्योकि प्राथीगण की भूमि में

Scanned with CamScanner

से विद्यालय हेतु भूमि समर्पण की गई है जिसमें समर्पणनामा के आधार पर वर्षो पहले विद्यालय बना है विद्यालय के दीवार का निर्माण कार्य हो चूका है उसी को सीमा मानी जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि का विनिश्चत होता है। जबाब प्रार्थना पत्र व उभय पक्षकारो की बहस के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त सुदा भूमि में अप्रार्थीगण दखदलंदाजी करने हेतु आमदा है जिससें निश्चित तौर पर अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी । इसलिए अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चय किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-::आदेश ::-

अतं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम चन्दरख के खसरा सख्या 707 रकबा 25 बीघा 01 बिश्वा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलदांजी न तो स्वय करे तथा न ही किसी अन्य से करावे मौके की यथास्थिति बनाए रखे एवम अप्रार्थीगण ग्राम चान्दरख के खसरा सख्या 715 रकबा 10 बीघा 01 बिश्वा भूमि में पत्थरगडडी करने के लिए स्वतंत्र है उक्त आदेश में पत्थरगडडी पर कोई रोक नही रहेगी। लेकिन पत्थरगडडी के बाद प्रार्थीगण के कब्जे में कोई दखलदांजी नही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(रतनलाल रेगर)
आर ए एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 28/12/20 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर ए एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned with CamScanner